लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/463   भोपाल, दिनांक 20/02/2026

//आदेश//

याचिकाकर्ता श्री अजय कुमार जयसवाल पिता श्री शिवचरण जयसवाल WP 15115/2024 ग्राम सतखरी पोस्ट बाणसागर देवलोद जिला शहडोल म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार हैं :–

In such circumstances, this petition is disposed off by directing the petitioner to file a certified copy of this order to the respondent No.2, who in turn is directed to consider and decide the pending representation (Annexure P/17) within a period of 60 days from the date of receipt of certified copy of this order and communicate the outcome to the petitioner.

2. उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है, कि नवीन प्राथमिक शाला करकचहा डाईसकोड–23160215203 को वर्ष 2010–11 में खोलने का आदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी किया गया, तब शाला में कोई भी नियमित शिक्षक न होने की स्थिति में बच्चों के अध्यापन की व्यवस्था को देखते हुए सतखुरी सरपंच/उप सरपंच और पालक संघ समिति द्वारा प्रार्थी को ही शाला में अध्यापन कार्य अतिथि शिक्षक के रूप में तथा अन्य कार्य जैसे– सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े सर्वे करना, परीक्षा मुल्यांकन कार्य, संपूर्ण रिकार्ड संधारण करना आदि सौंपे गये थे। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त कार्य गुरूजी की तरह संपादित किये जाने के कारण प्रार्थी को गुरूजी की तरह नियमित किया जाए।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार हैं :–

3.1 याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला करकचहा डाईसकोड–23160215203 में उपस्थित है।

4. मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवे भर्ती नियम 2018 एवं समय–समय पर संशोधित नियम 01.12.2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान हैं :–

4.1 **नियम–8 के उप नियम (5) में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान हैं।**

4.2 **नियम 11 उपनियम 7 ख (चार) में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान हैं :–**
"शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी। जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस (प्रतिसत्र न्यूनतम 30 दिवस) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं तदुपरांत चयन परीक्षा से मेरिट क्रम में नियुक्ति का प्रावधान है।

5. उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं, कि अतिथि शिक्षकों को सीधे पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित किये जाने का कोई प्रावधान/नियम नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित पदों में से प्रवर्गवार चयन परीक्षा के आधार पर मेरिट क्रम में पात्रतानुसार नियुक्त किये जाने का प्रावधान हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन में प्रस्तुत मांग नियमानुसार न होने से प्रकरण अमान्य कर निराकृत किया जाता है।

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Ajay K | GT

Scanned with OKEN Scanner

पृ.क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2025–26 / 464 भोपाल, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ट इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, विधि कक्ष स्थानीय, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. श्री अजय कुमार जयसवाल पिता श्री शिवचरण जयसवाल ग्राम सतखुरी पोस्ट बाणसागर देवलोद जिला शहडोल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Ajay K | GT

Scanned with OKEN Scanner